

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

96, महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक 109 कै.प.प्र.अ.विभा.स/01 27/03/17

दिनांक 27/03/17

समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता
लो०नि०वि०, उ०प्र०।

विषय :- ऊर्जा की खपत को कम किये जाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों में एल०ई०डी० संयन्त्रों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्रांक- 30/2017/153/23-5-17-11सा०/2017 दि० 25.03.2017 (छायाप्रति संलग्न) का संज्ञान लें। यह भी सुनिश्चित करें कि पत्र में दिये गये आदेशों के क्रम में लोक निर्माण विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों में एल०ई०डी० संयन्त्रों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाये।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(वी० के० सिंह)

प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), लो०नि०वि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (भवन) / (वि०/या०), लो०नि०वि०, लखनऊ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

संख्या:- 30/2017/153/23-5-17-11सा0/2017

प्रेषक,
सदाकान्त,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ उ०प्र०।
लोक निर्माण अनुभाग:-5

लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2017

विषय: ऊर्जा की खपत को कम किये जाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों में एल०ई०डी० संयंत्रों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा की खपत को कम किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से लोक निर्माण विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों में एल०ई०डी० संयंत्रों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- कृपया तदुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
[Signature]
(सदाकान्त) 25/3/17
अपर मुख्य सचिव

संख्या:- 153 (1)/23-5-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ।
- 4- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मोहन बाबू गुप्ता)
विशेष सचिव

ENC (D/P)

CC (4-5)

CC (4-M)

(दो. क० सिंह)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष,
लोकनिर्माण, उ०प्र०, लखनऊ

PA

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।